मु.नं.–16 / 2021 GCMS ID-2021/26 ता.रजु–04.02.2021

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

कल्ली देवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल मीना निवासी ग्राम जोडली, तहसील सपोटरा जिला करौली राज. पिन 322203 – अपीलार्थी

**बनाम**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–31.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यो में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 17.02.21, 24.03.21, 31.03.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत जोडली के वर्ष 2010 सरपंच प्रेमदेवी पत्नि श्री टीकाराम मीना, वर्ष 2019 सरपंच प्रत्याशी श्री टीकाराम मीना, वर्ष 2019 में चुनाव जीती श्रीमती कौली देवी, वर्ष 2019 में बने उपसरपंच श्री जीराज मीना के आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रति चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की गई है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 538 दिनांक 26.02.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली को उनके पत्रांक 326 दिनांक 18.02.2021 को अंतरित कर दिया गया है। अतः उनके कार्यालय स्तर से प्रकरण को खारिज किये जाने का श्रम फरमावें।
6. लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी करौली से अपीलार्थी को प्रेषित पत्र की प्रति प्राप्त हुई है। पत्र में यह अंकित है कि वर्ष 2010 से 2014 तक सरपंच रही श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि टीकाराम मीना निवासी जोडली का आवेदन पत्र कार्यालय के आदेश क्रमांक 6246 दिनांक 24.11.2015 में निस्तारित कर दिये हैं। पत्र की प्रति संलग्न की है। वर्ष 2019 में जोड़ली में सरपंच, उपसरपंच के चुनाव सम्पन्न नहीं हुए है। इसलिये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
7. बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है। अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है जिससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्च से संतुष्ट है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली